संख्या– 499 / जी0एस0 / शिक्षा / A3-22(TC) / 2014

प्रेषक,

राज्यपाल / कुलाधिपति के सचिव,
उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड — देहरादून दिनांक 16 मई, 2014

महोदय,

कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पत्र केयू / मान्यता / सम्बद्धता / 250 दिनांक 15 अप्रैल, 2014 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव / संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम / कुलाधिपति द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37(2) के अधीन निम्नांकित संस्थान को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठयक्रम हेतु स्तम्भ–4 पर वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी है :–

क्र.स.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4
1.	माँ पूर्णागिरी कालेज आफ एजूकेशन, बारथोली, बाराकोट, जिला चम्पावत।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 हेतु।

1. यह अस्थाई सम्बद्धता संस्थान द्वारा सभी मानकों की पूर्ति की शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है। इसी मध्य प्रकरण का पृथक से परीक्षण किया जायेगा तथा भावी अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में निर्णय या कार्यवाही उसी आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।
2. निर्धारित मानकों की पूर्ति व अर्ह फैकल्टी की सुनिश्चितता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का अपने स्तर से अनिवार्यतः निरीक्षण किया जाता रहेगा। यदि संस्थान में मानकों का पूर्ण न होना पाया जाता है तो संस्थान की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति / प्रस्ताव शासन का उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो शासन द्वारा सम्बन्धित कार्मिक / सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत् उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
3. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवस्थापना सुविधायें, शैक्षिक–शिक्षणेत्तर फैकल्टी की शैक्षिक अर्हता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फैकल्टी अंकपत्रों की प्रतियाँ, फैकल्टी की अद्यतन फोटो सहित फैकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।
4. यदि किसी भी स्तर पर शासन के संज्ञान में आता है कि उक्त संस्थान में संचालित पाठयक्रम की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तावक द्वारा की गई है, तो इसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित / निरीक्षण दल / संस्थान का होगा तथा संस्थान की सम्बद्धता समाप्त किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि कर एक प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
6. संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय, शासन, एवं महामहिम कुलाधिपति के आदेशों / निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

क्रमशः–

7. संस्थान में मानक के अनुसार अर्ह फैकल्टी नियुक्त होने के पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी। यदि फैकल्टी पूर्ण न किये जाने का मानक किसी संस्था द्वारा पूर्ण नही किया जाता है तो उक्त वर्षो में उसकी सीटें उपलब्ध फैकल्टी के अनुसार अनुमन्य की जायेगी।
8. संस्थान द्वारा किसी दूसरे विश्वविद्यालय का कोई दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।
9. संस्थान/कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
10. यदि संस्थान द्वारा कुलाधिपति/शासन के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शासन द्वारा उपरोक्त पाठयक्रम को प्रारम्भ करने के लिए दी गई अनापत्ति को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
11. संस्थान के कार्यरत फैकल्टी के सदस्यों का वेतन का भुगतान बैंक में फैकल्टी के सदस्यों के नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की जायेगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी संस्था द्वारा पूर्ण फैकल्टी नही पाई जाती है अथवा अभिलेखों में इसकी संतुष्टि नहीं होती है तो जारी अनापत्ति के सापेक्ष उक्त संस्था के सम्बन्धित पाठयक्रम को रोके जाने हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
12. संस्था द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
13. संस्थान द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नही? इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी। अन्यथा आगामी अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत नही की जायेगी।

भवदीय,

ह0/

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 499 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A3-22(TC)/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2- कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
3- निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 20/198, कावेरीपथ, निकट मानसरोवर स्टेडियम, मानसरोवर, जयपुर (राजस्थान)
4- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
5- प्रबन्धक, माँ पूर्णागिरी कालेज आफ एजूकेशन, बारथोली, बाराकोट, जिला चम्पावत।
6- कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(डा0 निधि पाण्डेय)
कुलाधिपति के अपर सचिव।